रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 25] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 19, 1983/पौष 29, 1904
No. 25] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 19, 1983/PAUSA 29, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके.
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली 19 जनवरी 1983

का०आ० 28 (अ)/18क/आई०डी०आर०ए०/83—उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का०आ० 583(अ)/18क/आई०डी०आर०ए०/77 तारीख 23 जुलाई 1977 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त आदेश कहा गया है) मैसर्स प्रिय लक्ष्मी मिल्स, बड़ौदा, गुजरात नामक सम्पूर्ण औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध, उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क के अधीन इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रारम्भ होने वाली पांच वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण कर लिया गया था और गुजरात स्टेट टैक्सटाइल्स कारपोरेशन को उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया गया था.

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का०आ० 521 (अ)/18क/आई०डी०आर०ए०/82 तारीख 22 जुलाई, 1982 द्वारा उक्त आदेश की अवधि 22 जनवरी, 1983 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है छह मास कि और अवधि के लिए बढ़ा दी गई थी,

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम, गुजरात स्टेट टैक्सटाइल कारपोरेशन के प्रबन्ध के अधीन, 22 जुलाई, 1983 तक छह मास की और अवधि के लिए बना रहे,

अतः केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क की उपधारा (2) के परन्तुक प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है, कि उक्त आदेश 22 जुलाई, 1983 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, छह मास की और अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा।

[फा०सं० 3(4)/75-सी०यू०एस०]
ए०पी० सरवन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 19th January, 1983

S.O. 28(E)/18A/IDRA/83.—Whereas by the Order of the Government of India in the *Ministry of Industry (Department of Industrial Development)* No. S.O. 583(E)/18A/IDRA/77, dated the 23rd July, 1977 (hereinafter referred to as the said Order), the management of the whole of the Industrial undertaking known as Messrs Priyalaxmi Mills, Baroda, Gujarat, was taken over under section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), for a period of five years commencing from the date of its publication in the Official Gazette, and the Gujarat State Textile Corporation was authorised to take over the management of the said industrial undertaking.

And whereas, by the Order of Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 521(E)/18A/IDRA/82 dated the 22nd July, 1982, the period of the said Order was extended for a further period of six months upto and inclusive of the 22nd January, 1983 ;

And, whereas the Central Government is of opinion that it is expedient in the public interest that the said industrial undertaking should continue under the management of the Gujarat State Textile Corporation for a further period of six months upto and inclusive of the 22nd July, 1983 ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of section 18A of the Industries (Development and Regulation), Act, *1951 (65 of 1951)*, the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period of six months upto and inclusive of the 22nd July, 1983.

[File No. 3(4)/75-CUS]
A. P. SARWAN, Jt Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983